


परियोजना का नाम:-

जिला योजना के अन्तर्गत सिलंगी से सेंज मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.350 हेतु आरक्षित वन भूमि तथा मक डिस्पोजल हेतु 0.050 हेतु कुल भूमि 0.400 हेतु आरक्षित वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचायें जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख-रखाव के दौरान लो०नि०वि० द्वारा वन्य जीव/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।

  
अमृत  
कनिष्ठ अभियन्ता  
अस्थाइ खण्ड लो०नि०वि०  
गौचर

  
सहायक अभियन्ता  
अस्थाइ खण्ड लो०नि०वि०  
अस्थाइ खण्ड लो०नि०वि०  
गौचर (चमाले)

  
अधिकारी अभियन्ता  
अस्थाइ खण्ड लो०नि०वि०  
गौचर